

**मांग संख्या 81**  
**मुख्य शीर्ष 2217**

**मद क्रमांक 1 (7675)**

14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगर निगमों के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान की राशि ₹ 4192.54 लाख का प्रावधान के लिए किया जा रहा है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 41,92,54,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2 (7675)**

14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगर पालिकाओं के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान की राशि ₹ 756.57 लाख का प्रावधान के लिए किया जा रहा है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,56,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3 (7675)**

14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगर पंचायतों के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान की राशि ₹ 2670.39 लाख का प्रावधान के लिए किया जा रहा है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 26,70,39,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2853**

**मद क्रमांक 4 (7611)**

गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों के लिए अंतरण हेतु ₹ 24.71 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 24,71,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।